भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1592

उत्तर देने की तारीख: 12.12.2023

महाराष्ट्र में वृद्धाश्रम

1592. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कुल कितने वृद्धाश्रमों का निर्माण किया गया है और इन वृद्धाश्रमों में रहने वाले व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) क्या ऐसे वृद्धाश्रमों का निर्माण वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया है और उन्हें मानदंडों के अनुसार सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के एक घटक के रूप में एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को आवास, पोषण, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों); सतत् देखभाल केंद्रों आदि के संचालन और रख-रखाव करने के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आईपीएसआरसी के अंतर्गत वृद्धाश्रमों के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में, आईपीएसआरसी के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में कुल 49 वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों) की सहायता की जा रही है। तथापि, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में किसी वरिष्ठ नागरिक गृह (वृद्धाश्रम) की सहायता नहीं की जा रही है।

(घ): भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु आईपीएसआरसी के अलावा पहले से ही अनेक कदम उठा रही है :-

(i) राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999 - यह वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए पहले से ही मौजूद है। यह नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य, एवं पोषण, आश्रय, शिक्षा कल्याण, वरिष्ठ नागरिकों के जान-माल की रक्षा तथा उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु सेवाओं की उपलब्धता की परिकल्पना करती है।

(ii) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 - माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण उपलब्ध कराना।

(iii) राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना - राज्यों/संघ राज्यों को वरिष्ठ नागरिक के लिए राज्य मूलक कार्यकलापों के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराना।

(iv) राष्ट्रीय वयोश्री योजना - आयु जनित दिव्यांगताओं/विनिर्योग्यताओं से पीड़ित वरिष्ठ पात्र नागरिकों के जीवन में सामान्य दिनचर्या बहाल करने के लिए उन्हें नि:शुल्क सहायक तथा जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराना।

(v) एल्डरलाइन - वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए तथा दुर्व्यवहार और बचाव के मामलों में नि:शुल्क सूचना, मार्ग-दर्शन, भावनात्मक सहारा तथा फील्ड इंटरवेंशन प्रदान करने के लिए 14567 टॉल-फ्री नंबर है, जो सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक चालू रहती है।

(vi) सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई) - स्टार्ट-अप्स को वरिष्ठ नागरिकों को माल/सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक्विटी (अधिकतम 49%) के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध कराना।

(vii) वृद्धावस्था पेंशन - ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करती है।

*****